

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा में फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती-2018

संख्या:पीआरपीबी-एक-1(135)/2018

दिनांक:सितम्बर 30, 2018

1- उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-5(1)/2016 दिनांक 20.12.2016 एवं पीआरपीबी-दो-5(1)/2016 दिनांक 16.01.2017 को निरस्त करते हुये फायरमैन के वेतन मैट्रिक्स लेबल-3, रू0 21,700-69,100 के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र शीघ्र आमंत्रित किये जायेंगे।

क0सं0	फायरमैन	
	श्रेणी	पदों की संख्या
1	अनारक्षित	841
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	453
3	अनुसूचित जाति	352
4	अनुसूचित जनजाति	33
	योग	1679

2-ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

3-आवेदन शुल्क-

इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रू 400/- (रुपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान निम्न माध्यमों से किया जा सकता है:- ऑनलाइन-डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग के द्वारा या आफलाइन-ई-चालान का उपयोग करके।

3.2-आवेदन शुल्क में छूट-

उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-5(1)/2016 दिनांक 20.12.2016 एवं पीआरपीबी-दो-5(1)/2016 दिनांक 16.01.2017 के अभ्यर्थियों, जिन्होंने रुपये 200/- (रुपये दो सौ मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में जमा किया है, उन्हें इस विज्ञापित भर्ती में रुपये 200/- (रुपये दो सौ मात्र) अतिरिक्त (कुल रुपये 400 मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

4-**आरक्षण-** भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)-

(1)-उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण-पत्र

(2)-अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में (01 अप्रैल, 2018 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिये।

(3)-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में (इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि या इससे पूर्व) निर्गत होना चाहिये।

(4)-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप निर्गत होना चाहिये।

(5)-भूतपूर्व सैनिक के लिये यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन' निर्गत होना चाहिये।

(6)- आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये।

5- आयु:-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

अभ्यर्थी दिनांक 01-07-2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1996 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-5(1)/2016 दिनांक 20.12.2016 एवं पीआरपीबी-दो-5(1)/2016 दिनांक 16.01.2017 के अभ्यर्थियों, जो अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के (ओवरएज) हो गये हैं, उनको इस भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में उस सीमा तक शिथिलता प्रदान की जायेगी, जो उनकी अर्हता के लिए अपेक्षित हो।

6-शैक्षिक अर्हता-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

7-भर्ती प्रक्रिया-

यह चयन उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2016 यथा संशोधित(प्रथम संशोधन)-2018 के अधीन किया जायेगा। इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची के चरण होंगे।

8- अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक निम्नवत है :-

अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक :-

(एक) ऊंचाई :

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 168 से0मी0 होनी चाहिये।

(ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 से0मी0 होनी चाहिये।

(दो) सीना :

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने की माप 79 से0मी0 बिना फुलाने पर और कम से कम 84 से0मी0 फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 से0मी0 बिना फुलाये और 82 से0मी0 फुलाने पर होना चाहिये।

टिप्पणी : न्यूनतम 05 से0मी0 सीने का फुलाव अनिवार्य है।

9- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना-

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा लागू निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है:-


क- शैक्षिक अर्हता/आयु प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख-

दसवीं एवं बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

ख- अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख(यदि कोई हो तो)-

- (1)-डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का प्रमाण-पत्र या
- (2)-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या
- (3)-राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र।

10- इस भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना/विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट <http://prpb.gov.in> पर शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।


अपर सचिव (भर्ती)
उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।